राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1370 / 2022

रोहिताश्व सैनी —अपीलार्थी

बनाम

1. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विराट नगर, जिला जयपुर, राज.।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राज.।
3. निदेशक, स्वास्थ्य विभाग (अराजपत्रित अधिकारी), स्वास्थ्य भवन, जयपुर राजस्थान।
4. मुख्य शासन सचिव, राज. सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 10.08.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री देवेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्स ग्रेड—प्रथम के पद पर सीएचसी, दांतिल, तहसील कोटपुतली जिला जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी को विभाग द्वारा मार्च 2018 से मार्च 2019 तक का वेतन नहीं दिया गया है। इसके पश्चात अपीलार्थी को मार्च 2021 से आज दिन तक का वेतन भी नहीं दिया गया है और न ही अपीलार्थी का फिक्शेसन किया गया है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि वेतन भुगतान हेतु आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति नहीं होने के कारण अपीलार्थी को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।
3. हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिये गये जवाब को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के बकाया वेतन के संबंध में शिघ्र समस्त कार्यवाही कर उसे देय बकाया वेतन एवं फिक्सेशन का लाभ प्रदान करें। इस आदेश की पालना 1 माह में की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)